न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 18/2015 G.C.M.S. No. 2015/00117 दर्ज दिनांक : 05.05.2015

अपीलार्थिगण:

1. रामलाल पुत्र बुद्धाराम
2. भाखराराम पुत्र बुद्धाराम, जातियान् विश्नोई, साकिन करड़ा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सोना पुत्र फुआ, जाति विश्नोई, साकिन करड़ा, तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर
2. हरू पुत्र फुआ जाति विश्नोई साकिन करड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर
3. गोरधन पुत्र फुआ जाति विश्नोई सकिन करड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर
4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा
5. शाखा प्रबंधक मारवाड़ ग्रामीण बैक शाखा करड़ा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध श्री उपखंड अधिकारी, रानीवाड़ा के आदेश दिनांक 14.03.2015 राजस्व विविध प्रकरण संख्या 30/2012 बउनवान सोना बनाम रामलाल में पारित आदेश को अपास्त कराने।

उपस्थित–

1. श्री त्रिलोक चंद मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री खसाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक: 29.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रानीवाड़ा के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 30/2012 बअनवान सोना बनाम रामलाल में पारित आदेश दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ले अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा करड़ा तहसील रानीवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 1992/3846 रकबा 1.05 हैक्टेयर में आने–जाने के लिए अपीलान्ट के खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1992 रकबा 1.05 हैक्टेयर व 1992/3847 रकबा 1.05 हैक्टेयर में से होते हुए रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस तामिल होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 3 खसरा संख्या 1991, 1990, 1993 व 1992/3846 के माठ के बीच स्थित खातेदार समेला, प्रतापा व रमेश पुत्र छोगा सरगरा में से होकर कटाणी रास्ता खसरा नंबर 1977 तक आते जाते हैं। धारा 251(क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के लिए आदेश पारित करने के पूर्व संपूर्ण जांच करना आवश्यक है कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं। जिसके संबंध में साक्ष्य भी लेना आवश्यक है तथा किसी भी खातेदार को अनायास क्षति न हों। लेकिन इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की जांच नहीं करवायी, जबकि खसरा नम्बर 1991, 1990 की भूमि रास्ते के रूप में ही दिखायी देती है और इन खसरों के पश्चिम से रास्ता दिया जा सकता था लेकिन इस संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं करवायी गयी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.03.2015 को आदेशिका के जरिये बहस सुनना बताया तथा पत्रावली को आगे लोक अदालत में रखना भी बताया और आदेश में भी रखना लिखा है। लोक अदालत का महत्व पक्षकारों के बीच राजीनामा हेतु प्रयास करना होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय सुना दिया गया जो निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। धारा 251(क) के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करते हुए काश्तकारों को आवश्यक रूप से रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट तलब की है, उसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करडा, तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1992/3846

तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 1992 व 1992/3847 व खसरा संख्या 1977 में से रास्ता प्रदान किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 26.09.2012 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ दिनांक 11.09.2012 को निरीक्षक भू–अभिलेख करड़ा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस भी शामिल है। प्रकरण में अपीलांट रामलाल, भाखराराम पिसरान बुद्धाराम की ओर से दिनांक 03.01.2013 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक करड़ा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 1992/3846 में आने–जाने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं हैं।

2. पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौजा करडा के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1992/3846 तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2015 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को उभयपक्ष को सुनते हुए एवं अपीलांट अप्रार्थीगण से जवाब आदि प्राप्त कर विस्तृत विवेचन के साथ निर्णित किया है।

4. अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 ने धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लिए विहित प्रारूप में अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन नहीं किया था। अतः प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य था। हमारा विनम्र मत है कि इस संबंध में विधि की यह मंशा कि यदि किसी काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंच के लिए रास्ते का अभाव है तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तो उसे रास्ता दिया जाना चाहिए। नियम 68 में विहित आवेदन प्रारूप एक आदर्श प्रारूप मात्र है, जिसे अपनाया जा सकता है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं हैं कि उक्त प्रारूप से विचलन मात्र के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाए। अतः अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलांट के शेष कथन व आपत्तियां अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र के साथ भी प्रस्तुत की गई थीं। जिनका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित गौर भी किया गया है। अपीलांट की आपत्तियां समर्थन योग्य नहीं हैं।

5. अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने तथा अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2015 की पुष्टि किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध रेस्पोडेन्ट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2012 बअनवान प्रार्थी सोना वगैरह बनाम अप्रार्थी रामलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 को यथावत रखते हुए पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली